न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 62/2018

दामोदर पुत्र श्योलाल, जाति माली निवासी ढाणी भूकरी, तन पपुरना तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम दामोदर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 13/2017 निर्णय दिनांक 30.05.2017

उपस्थितिः–

1 .श्री अशोक महला, एडवोकेट ––––– ––––– ––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.07.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.05.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम दामोदर मु0नं0 13/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का सही रूप से अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर लगभग 60–70 वर्षों से बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है एवं मामले में पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की कोई विशिष्ट दिनांक वर्ष बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट का तथाकथित भूमि पर अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का के बयान भी रिकार्ड नहीं किये। अपीलांट का पकरण नियमन का बनता है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष अपना 60–70 वर्षों से अधिक का कब्जा बाबत अपना शपथ पत्र बिजली, पानी के बिल भी प्रति व मतदाता सूची में अपना नाम होने के मतदाता सूची की प्रति पेश की है। उक्त समस्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

दस्तावेजों से अपीलांट का पुराना कब्जा साबित होता है, लेकिन अदालत मातहत ने उक्त दस्तावेजात पर गौर व अवलोकन कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का विवाह, सन्तान का जन्म भी इसी में हुआ है। अपीलांट का उनके पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, जिसमें अपीलांट परिवार सहित उक्त मकानों में आबाद है। उक्त मकानों के अलावा अपीलांट के पास रहने के लिए अन्य कोई मकानात नहीं है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर काफी मेहनत करके काफी खर्चा करके अपने जीवन की पूरी कमाई इसी मकानों के बनाने में खर्च की है। अपीलांट गरीब तबके का व्यक्ति है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांट की गैर हाजरि में उक्त एक पक्षीय आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनंक 30.05.2017 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट के प्रकरण पर नियमन की कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर लगभग 60–70 वर्षो से बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है एवं मामले में पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की कोई विशिष्ट दिनांक वर्ष बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट का तथाकथित भूमि पर अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का के बयान भी रिकार्ड नहीं किये। विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं है । अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष अपना 60–70 वर्षों से अधिक का कब्जा बाबत अपना शपथ पत्र, बिजली, पानी के बिल की प्रति व मतदाता सूची में अपना नाम होने के, मतदाता सूची की प्रति पेश की है। उक्त समस्त दस्तावेजों से अपीलांट का पुराना कब्जा साबित होता है, पुराने कब्जे के आधार पर अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। लेकिन अदालत मातहत ने उक्त दस्तावेजात पर गौर व अवलोकन न कर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनंक 30.05.2017 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश

९९
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट के प्रकरण पर नियमन की कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा खसरा नंबर 2305, 3958/2786 के रकबा 0.35 है, व 2.60 हैक्टर किस्म गै0मु0 पहाड़ के रकबा क्रमशः 0.35 हैक्टर, 0.45 हैक्टर में बाड़ व पक्की दीवार निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि विवादित जगह पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से करीब 60–70 वर्ष पुराना कब्जा है। विवादित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं है । अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिनमें नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 का नोटिस दिनांक 4.3.2004, तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस क्रमांक 2539 दिनांक 18.09.2006, नायब तहसीलदार खेतड़ी नोटिस क्रमांक 1897 दिनांक 31.07.1999 नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस क्रमांक 773 दिनांक 26.10.1998, नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट के पिता के नाम जारी नोटिस दिनांक 13.9.1990, अपीलांट के पिता के नाम से धारा 91 एल0आर0एक्ट को नोटिस दिनांक 12.09.1970 खसरा गिरदावी सम्वत 2052, 2053 एवं विद्युत कनेक्शन के बिल आदि प्रस्तुत हुये हैं,लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2017 में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया । उक्त दस्तावेजात के आधार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 पहाड़ है जो प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 30 मई, 2017 में इन दस्तावेजात के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है। अपीलांट का प्रकरण पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य क्यों नहीं है, इस संबंध में भी निर्णय दिनांक 30 मई 2017 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलांट ने लगातार कब्जे के संबंध में कोई ठोस एवं पर्याप्त सबूत पेश नहीं किये गये। उक्त सभी दस्तावेजात से अपीलांट का काफी पुराना कब्जा साबित है, और क्या ठोस सबूत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

चाहिए थे, समझ से परे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में अपने निर्णय में कोई व्याख्या नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित उक्त निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 उनवानी सरकार बनाम दामोदर मु0नं0 13/2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि के वादग्रस्त स्थल का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर पूर्ण विवेचना करते हुये अगर पुराने कब्जे के आधार पर प्रकरण नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही की जावे एवं विधिक प्रकिया के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू